



2026:AHC:21991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 1390 वर्ष 2026

सुरेश कुमार  
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

भारत संघ और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पीयूष कुमार श्रीवास्तव  
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष कुमार श्रीवास्तव को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संपर्क करने का एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय है, विशेष रूप से रेलवे से अनुकंपा नियुक्ति के दावे के संबंध में।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
4. हस्तक्षेप से अस्वीकार किया जाता है। रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संपर्क कर सकता है।

**2 फरवरी, 2026**

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"